

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4818/2018

आशा चोरडिया पत्नी नवल चोरडिया, निवासी झालावाड़ रोड, झालावाड़,
राजस्थान

-----याचिकाकर्ता

बनाम

- राजस्थान राज्य, सचिव सह आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
- जिला परिवहन अधिकारी, झालावाड़, जिला- झालावाड़, राज.।
- क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, क्षेत्र कोटा, अपने सचिव के माध्यम से।

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री सतीश खंडेलवाल
प्रतिवादी के लिए	:	श्री एस.एस. नारुका, एएजी
		श्री आयुष मॉल, डीजीसी
		श्री दिवांशू गुप्ता, एजीसी और
		श्री चिन्मय सक्सेना, एजीसी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

10/07/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह याचिका दिनांक 10.08.2016 के मांग नोटिस को चुनौती देते हुए दायर की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता एक वाणिज्यिक वाहन, जिसका पंजीकरण संख्या आरजे-17-पी-0755 है, का संचालन कर रही थी। वाहन को मध्य प्रदेश परिवहन अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया था और अंततः उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 16.01.2007 को जारी किया गया था। प्रतिवादियों ने 05.02.2008 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें 43,638/- और 1,17,938/- की वसूली की मांग की गई थी। मांग से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 22.03.2010 के आदेश के माध्यम से मामले को जिला परिवहन अधिकारी (संक्षेप में 'डीटीओ') को मांग की पुनर्गणना करने के लिए वापस भेज दिया। निर्देश यह थे कि परमिट को सरेंडर करने के लिए आवेदन को ध्यान में रखा जाए और सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। वापसी के बाद, डीटीओ ने बिना कोई आदेश पारित किए दिनांक 10.08.2016 का विवादित मांग नोटिस जारी कर दिया। इसलिए, वर्तमान याचिका दायर की गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता ने वाहन का संचालन नहीं किया था, फिर भी सड़क कर की मांग की गई थी। यह आगे तर्क दिया गया है कि आज तक, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा वापसी के अनुसरण में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।
4. प्रतिवादियों के विद्वान वकील का कहना है कि याचिकाकर्ता अपीलीय प्राधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में डीटीओ के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहा, इसलिए मांग नोटिस जारी किया गया था।

5. डीटीओ ने अपील्य प्राधिकारी द्वारा वापसी के अनुपालन में कोई आदेश पारित किए बिना, विवादित मांग नोटिस जारी किया। मांग से पहले एक आदेश होना चाहिए जो मांग को उत्पन्न करता हो। नतीजतन, मांग नोटिस को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जाता है।
6. याचिका स्वीकार की जाती है।
7. प्रतिवादी कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(आशुतोष कुमार),जे

(अवनीश झिंगन),जे

मोनिका/आरजू/173

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़